न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 567 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 88 / 53 आरटीए
गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख नि. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

—वादीया

बनाम्

1. जसपाल सिंह
2. जसविन्द्र सिंह
3. जसवीर सिंह
   } पुत्रगण करतार सिंह
4. निशन्द्रपाल सिंह पुत्र जसपाल सिंह
5. रोबिन्द्रपाल सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह
6. सतेन्द्रपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह
   } समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. मोनिका पत्नी राजेन्द्र कुमार
8. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार
   } समस्त जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. बैंक शाखा ढाबां।
10. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैंक शाखा संगरिया।
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता वादीया
श्री गुरविन्द्र राजपाल अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 ता 8

निर्णय   दिनांक :— 10.12.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण के नाम चक नं. 6 बीजीपी—बी. खातां सं. 35 / 11 जं.सं. 2073—2076 खाता जसपाल सिह वगैरा में साझा खाता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की जमाबंदी सलग्न वादपत्र है उक्त जमाबंदी का विवरण निम्न प्रकार है।

चक नं. 6 बीजीपी—बी. खातां सं. 35 / 11

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
201 / 133	4	15,16,25 / 0.253 हैक्ट.प्र.
201 / 134	5	5,6,7,15 / 0.253 हैक्ट.प्र.

[illegible] सं. 2 में दर्ज वादग्रस्त अराजी सांझा खाता में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम [illegible] राजस्व रिकार्ड हैं। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी [illegible] 0.253 [illegible] आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.05.2024 को खरीद की गई। उक्त बैयनामा की फोटो प्रति सलग्न हैं। वादिया द्वारा जरिये रजि0 बैयनामा खरीदशुद्धा उक्त 0.253 हैक्ट. अराजी प्रतिवादी स. 1 ता 6 के पास घरू—बंटवारा मुताबिक प्रतिवादी सं. 3 जसवीर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह द्वारा मुझ वादिया को बेचान की गई है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त 0.253 हैक्ट. अराजी प्रतिवादी स. 1 ता 6 के नाम सांझा खाता में ही दर्ज चली आ रही हैं। अतः मुताबिक रजि0 बैयनामा प्रतिवादी स. 1 ता 6 के नाम

सहायक कलक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज उक्त 0.253 हैक्ट. अराजी की वादिया खातेदार काश्तकार हैं उक्त अराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादिया प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार हैं। वादिया ने चक नं. 6 बीजीपी–बी. खातां सं. 35/11 ज.सं. 2073–2076 में 0.253 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 से खरीद की हैं जो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम सांझा खाता में दर्ज हैं। जिस वजह से उक्त भूमि का नामान्तरण वादीया के नाम से नहीं हो सका। वादिया कब्जा काश्त अनुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। अब वादिया को अपने नाम कृषि भूमि न होने के कारण फसली ऋण, मुआवजा, बिजली कनैक्शन लेने में परेशान हो रही हैं तो वादिया अब प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का नाम कलमजन करवाकर उक्त रकबा अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाने व कब्जा काश्त अनुसार अपना रकम राज अलग कायम कर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी व दावेदार हैं। इसलिए वादीया उक्त भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित व अलग करवाने में है वादीया के कब्जा काश्त की निम्न भूमि है।

वादिया गुरमीत कौर पतनी गुरप्रीत सिंह का हिस्सा
चक नं. 6 बीजीपी–बी. खातां सं. 35/11

ख.नं.	मु.नं.	किला नं.
201/134	5	7/0.253 हैक्ट.

कुल 0.253 हैक्ट. वादिया वादपत्र की चरण सं. 4 के मुताबिक मौका पर काबिज हैं। लकिन उक्त अराजी वादिया के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादिया के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता हैं। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादिया को चक नं. 6 बीजीपी–बी. खातां सं. 35/11 में 0.253 हैक्ट. का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त चरण सं. 4 के अनुसार खाता अलग कायम करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादिया की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। प्रतिवादी स. 9 ता 10 के पक्ष में रकबा रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 11 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि चक नं. 6 बीजीपी–बी. खातां सं. 35/11 ज.सं. 2073–2076 में वादिया को 0.253 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प.नं. 201/134 मु.नं. 5 कि.न. 7/0.253 हेक्ट. का खाता अलग कायम किया जाकर वादिया का खाता अलग कायम किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावें।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज [illegible] गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी [illegible] जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। प्रतिवादी सं[illegible] उपस्थित नही आये। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। जो शामिल प[illegible]ली किया। साक्ष्य वादी में वादीया गुरमीत कौर ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार चक 6 बीजीपी (बी) खाता संख्या 35/11 खाता जसपाल सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं बैयनामा दिनांक 27.05.2024 जसवीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिह पुत्र श्री करतार सिह जाति जटसिख साकिन ढाबा फोटोप्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 बीजीपी (बी) खाता संख्या 35/11 मे दर्ज प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 जसवीर सिह के कब्जा काश्त की होने से वादीया ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीद की हुई भूमि है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 सहमत है इसलिए वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम चक 6 बीजीपी (बी) के खाता संख्या 35/11 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादीया की प्रतिवादी संख्या 3 जसवीर सिह पुत्र करतार सिह से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा क्रय की गई भूमि है जिसकी पुष्टि वादीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की फोटोप्रति एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाबदावा से हो रही है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने आपस में आराजी की घोषणा/खाता विभाजन बाबत सहमति के जवाब दावा पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब स्टेट पेश हो चुका है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा मुताबिक बैयनामा मय जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन कर वादीया गुरमीत कौर को प्रश्नगत भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 4 अनुसार खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः- चक 6 बीजीपी-बी खाता संख्या 35/11 खाता जसपाल सिह वगैरा ज.स. 2073-76 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज आराजी की वादीया गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित कर प.न. 201/134 मु.न. 5 किला नं. 7/0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश किये जाते है। डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 567 / 2024

गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख नि. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

–वादीया

बनाम्

1. जसपाल सिंह }
2. जसविन्द्र सिंह } पुत्रगण करतार सिहं
3. जसवीर सिंह }
4. निशेन्द्रपाल सिंह पुत्र जसपाल सिंह
5. सीबिन्द्रपाल सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह
6. सतेन्द्रपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह

(1 से 6) समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

7. मोनिका पत्नी राजेन्द्र कुमार
8. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार

(7 व 8) समस्त जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

9. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. बैंक शाखा ढाबां।
10. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैंक शाखा संगरिया।
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिह कलसी वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री गुरविन्द्र राजपाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 6 बीजीपी–बी खाता संख्या 35 / 11 खाता जसपाल सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज आराजी की वादीया गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित कर प.न. 201 / 134 मु.न. 5 किला नं. 7 / 0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल 1800 ......मुक[illegible] के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा[illegible] बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.12.2024 ......को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया